न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,

पीठासीन अधिकारी :– रिया केजरीवाल ,आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0– 29 / 2017

प्यारेलाल पुत्र गोपीराम पारीक ब्राहम्मण निवासी चक 5 केएचएम तहसील व जिला बीकानेर

प्रार्थी......

–:बनामः–

1. चिमी पत्नी स्व आदूराम 2. जगमालराम 3. रूखमा 4. लिछमा पुत्र व पुत्रिया स्व. आदूराम जाति मेघवाल निवासी चक 4 केएचएम– खिचिया तहसील व जिला बीकानेर
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर

....अप्रार्थीगण ...

अपील अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थिति अभिभाशकः–

1. श्री सत्यपालसिंह शेखावत, प्रार्थी।
2. श्री बहादुरराम सुथार., अभिभाषक अप्रार्थीगण सं.1 ता 4

–:निर्णयः–

दिनांक–10 /01 / 2019

यह प्रार्थना पत्र राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 क के अधीन प्रस्तुत कर चक – 5 केएचएम तहसील बीकानेर के मुरब्बा नंबर 87 / 57 के किला नंबर –1 ता 3, 8 ता 14, 17 ता 20 = किला भूमि प्रार्थी के खातेदारी काश्तकारी में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में प्रवेश हतु कटानशुदा कोई रास्ता नहीं होने स प्रार्थी को अपने कृषि कार्य करने व कृषि भूमि में आने जाने में कृषि साधन ट्रैक्टटर गाड़ा आदि लाने ले जाने में असुविधा एवं परेशानी रहतती है। प्रार्थी की कृषि भूमि के नजदीकतम कटानी रास्ता मुरब्बा के सींव जोड़ चक 4 केएचएम के मुरब्बा नंबर 107 / 1 में चलने वाला कटानी रास्ता हैं उक्त कटानी रास्ते से प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि में प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र के संलग्न किये गये नजरी नक्शा अनुसार चक 5 केएचएम के मुरब्बा नंबर–87 / 57 के किला नंबर–15 जो अप्रार्थी स. 1 ता 4 के खातेदारी में स्थित है, से नजरी नक्शानुसार 16'5' चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर चक–4 केएचएम के कटानी रास्ते से कानूनन प्रदत्त किया जा सकता है। नवीन रास्ता कायम किये जाने की कार्यवाही में अप्रार्थी स.1–4 की प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शानुसार 16'5" x 165.52 =2722.50 वर्गफुट अर्थात 2 बिस्वा, जी जाने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर से भुगतान हेतु प्रार्थी तैयार एवं

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

..हमत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न नजरी नक्शानुसार नवीन रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाकर रेकार्ड व अक्स में अंकन किये जाने आदेश/निर्देश प्रदान फरमाये जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 12.10.17 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 क नोटिस अदम तामिली से प्राप्त व अप्रार्थी संख्या 5 का नोटिस वाद तामील प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नोटिस रजिस्टर्ड से जारी किये गये। जिस पर दिनांक 1 ता 4 की तरफ से श्री बहादुरराम सुथार अभिभाषक उपस्थित आये और वकालतनामा प्रस्तुत किया और पत्रावली वास्ते जवाब नियत की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की और से दिनाक 10.1.19 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब कथनानुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का पैरा संख्या 1 स्वीकार नही है। अप्रार्थी की चक 5 केएचएम क मु.न.87/57 के कि.न.1 ता 3, 8 ता 14, 17 ता 20 कुल 14 बीघा भूमि के अलावा मुरब्बा नम्बर 87/43 के कि.न. 18 से 25 मु.न.87/44 कि.न.1 ता 9 ,12 व 13 = बीघा ,मु.न. 87/49 के किला न.16 में 1 बीघा इस प्रकार कुल 34 बीघा भूमि है। जिस पर पूर्व में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी यह रास्ता सुविधाजनक उपयोग के लिए रास्ता हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी मु.न. 87/37. के कि.न.17 से भी रास्ता ले सकता है। जो सबसे नजदीक है। इस प्रकार प्रार्थी ने वास्तविक भूमि व रास्ता छुपाकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज काबिल है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सुविधाजनक उपयोग हेतु रास्ता कायम करने के लिए एवं अप्रार्थीगण के खेत की कृषि भूमि की उपयोगिता कम करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो भारी कोस्ट के साथ खारिज फरमाया जावे। पत्रावली जवाब स्टेट हेतु नियत की गयी। दिनांक 13.12.19 को तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसमें पटवार मण्डल धोलेरा के 5 केएचएम के मु.न.87/57 कि.न. 1 ता 3,8 ता 14,17 ता 20 कुल 14 बीघा खातेदारी वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी ने मु.न.87/57 कि.न.15 तादादी 1 बीघा मे से रास्ते की मांग की है। मु.न. 87/57 के पूर्व दिशा मे कच्ची सड़क बनी हुई है जो चक 4 केएचएम म पड़ती है। किला न.15 मौके पर खाली है। यह किला चिमी वगैरहा के नाम से रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी अपने खेत में मु.न.87/49 के किला न.1/2 ता 5 मे से होकर अपने खेत मे प्रवेश करता है। कि.न. 15 मु.न.87/57 मे से चाहा गया रास्ता निकटतम है दिया जाना उचित है। पत्रावली में बहस सुनी गयी।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र,जवाब, तहसीलदार बीकानेर की रिपोर्ट व दोनो विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। जहा से प्रार्थी ने रास्ते की मांग की है मु.न.87/57 के पूर्व दिशा में कच्ची सड़क बनी हुई है। जो चक 4 केएचएम मे पड़ती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर चक 5 केएचएम के मु.न.87/57 के किला नम्बर 15 मे 16.5 फुट चौड़ा एवं 165 फुट लम्बा जो निकटतम है , 251 (ए) आरटीएक्ट के तहत स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी इस रास्ते मे आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दुगनी

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

राशि तहसील कार्यालय बीकानेर मे जमा करायेगा। तहसीलदार बीकानेर यह राशि अप्रार्थी को भुगतान करेगा। तहसीलदार बीकानेर राशि जमा होने पर राजस्व रिकार्ड मे सार्वजनिक रास्ते के रूप मे ईन्द्राज करेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार बीकानेर को पालानार्थ प्रेषित की जावे।

6— निर्णय आज दिनांक 10-1-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उप खण्ड अधिकारी बीकानेर)

(रिया केजरीवाल)
आईएएस
उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Riya Kejriwal
Date: 2020.01.28 17:27:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: